सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW

दिनांक: 26.09.2024

सेवा में,

श्री विशाल सिंह,
जिलाधिकारी,
जिला-भदोही,
कलेक्टोरेट कैंपस, सरपतहा, ज्ञानपुर,
भदोही-221304, उत्तर प्रदेश,
ई-मेल: dmsrn@nic.in
फोन नं. 5414-251578

विषय: जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, जिला-भदोही, ग्राम-दलापुर, पोस्ट-गोहीलाव, तहसील-औराई, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश-221402 से दिनांक 09.10.2023 का अभ्यावेदन ।

संदर्भ : दिनांक 04.10.2024 को 02:00 बजे होने वाली सिटिंग के संदर्भ में आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2024।

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) जी ने उक्त प्रकरण में आयोग मुख्यालय में दिनांक 04.10.2024 को 02:00 बजे होने वाली सिटिंग/सुनवाई को स्थगित कर दिया है, एवं उक्त सिटिंग/सुनवाई **पुनर्निर्धारित कर दिनांक 04.11.2024 को 02:00 बजे, 6वां तल, न्यायालय कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली** में सुनिश्चित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

कमलेश कुमार गोंड,
जिलाध्यक्ष,
अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, भदोही,
ग्राम-दलापुर, पोस्ट-गोहीलाव,
तहसील-औराई, जिला-भदोही,
उत्तर प्रदेश-221402